यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "उज्जवल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून -248006 (उत्तराखण्ड)
Dy. General Manager (Human Resource), Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S Road, Dehradun -248006 (Uttarakhand)
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएनलिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतयाआश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशनलि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिककी मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय मेंनियमानुसार भर्ती के दौरान/बाह्य रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुएचिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तालिका में दर्शाये गये चिकित्सालयों कीमान्यता अवधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:–

क्र० स०	अस्पताल का नाम	मान्यता अवधि		टिप्पणी
		(से)	(तक)	
1.	विनय विशाल हैल्थ केयर, न्यू नेहरू नगर, रूडकी, हरिद्वार।	01.07.2022	30.06.2025	पूर्ववर्ती दरों पर (15% छूट के साथ)
2.	डा० चौहान हास्पिटल, मेन रोड़, विकासनगर देहरादून।	01.01.2023	31.12.2024	पूर्ववर्ती दरों पर (15% छूट के साथ)
3.	देव ई०एन०टी० एण्ड मैटरनिटी सेन्टर चकराता रोड़, देहरादून।	01.01.2023	31.12.2024	पूर्ववर्ती दरों पर (15% छूट के साथ)
4.	कम्बाईन्ड मेडिकल इन्स्टीटयूट (सी0एम0आई0), 54–हरिद्वार रोड़, देहरादून।	01.04.2023	31.03.2025	पूर्ववर्ती दरों पर (15% छूट के साथ)
5.	स्वास्तिक अस्पताल, लोहियाहैड रोड़, खटीमा, उधमसिंह नगर।	01.07.2023	30.06.2025	पूर्ववर्ती दरों पर
6.	बंसल डेन्टल एण्ड ओर्थोडोन्टिक केयर, हरिद्वार।	01.07.2023	30.06.2025	पूर्ववर्ती दरों पर
7.	दक्ष बालाजी ओर्थो हास्पिटल, गुरूबक्श विहार, लक्सर रोड, कनखल, हरिद्वार।	01.07.2023	30.06.2025	पूर्ववर्ती दरों पर (05% छूट के साथ)

उपरोक्तचिकित्सालयों से सम्बन्धित पूर्व कार्यालयज्ञाप में उल्लेखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

सम्बन्धितचिकित्सालयों की निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभीभी समाप्त की जा सकती है :–

a मान्यताअवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

b किसी बिल में निर्धारितदरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूची में जो मद देयनहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पताल को पुलिस केसमें, कन्ज्यूमर फोरम में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित कियेजाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग कीशिकायतें आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवंउपरोक्त प्रतिबन्धों / शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियलस्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजीसचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक(परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासीनिदेशक (जानपद) / (वि० / या०) / (ओ०एण्डएम०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।
5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेशित करने का कश्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेडदेहरादून को **निगम की वैबसाइट पर"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शकके अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।**
8. कम्पनीसचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उपमुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिश्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय यमुना भवन, देहरादून।
12. तालिका सूची मेंदर्शाये हुए विभिन्न चिकित्सालय।
13. अध्यक्ष / महामंत्री समस्तयूनियन / एसोसिएशन।

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०)